श्रीधर भुवन

बनाम

ओडिसा राज्य

9 अगस्त 2004

(अरिजीत पासायत और सी.के. ठाकर, जे.जे.)

दंड संहिता 1860

धारा 302,304 और 300 के अपवाद 4- हत्या चश्मदीद गवाहो की साक्ष्य याचिका कि अपराध अचानक झगडे का परिणाम था और बिना पूर्व साजिश के हत्या के लिए निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि की अपील पर दोषसिद्धि को धारा 304 भाग में बदल दिया गया क्योंकि मामला धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आता है।

धारा 300 के अपवाद 4 धारण की प्रयोज्यता के प्रावधान को लागू करने के लिए यह पर्याप्त नही है कि झगडा अचानक हुआ था तथा कोई साजिश नही थी लेकिन इसे और अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नही उठाया तथा ना ही असामान्य तरीके से कार्य किया।

शब्द और वाक्यांशः

अपीलार्थी अभियुक्त पर हत्या का आरोप लगाया गया था। अभियोजन

का मामला यह था कि मृतक पूर्व संध्या को अपीलार्थी के भाई द्वारा अपने रिश्तेदार को छेडने के मुद्दे को निपटाने के उद्देश्य से उसके घर गया था। जब अपीलार्थी समझौते के लिए तैयार नही हुआ तो झगडा और बढ गया। अपीलार्थी ने अपने घर से चाकू निकाला और मृतक को चाकू मार दिया। चोटो के कारण उसने दम तोड दिया। विचारण न्यायालय ने तीन चश्मदीद गवाहो के आधार पर आरोपी को अपराध का दोषी ठहराया और उसे आईपीसी की धारा 303 के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने हांलाकि स्वीकार किया कि झगडा हुआ था फिर भी दोषसिद्ध को बरकरार रखा।

अपील पर, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसका मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आता है। क्योंकि हमले एक झगडे के दौरान किये गये थे। आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुये न्यायालय ने आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 की मदद ली जा सकती है जिसमें यदि अचानक लडाई में बिना साजिश मृत्यु हो जाती है तथा यदि अपराधी ने बिना अनुचित लाभ उठाये अथवा बिना असामान्य तरीके से लडाई हो जिसमें व्यक्ति को मार डाला गया हो। किसी मामले कों अपवाद 4 के भीतर लाने के लिए उसमें उपर्युक्त सभी अवयवों का पाया जाना चाहिये।

आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली लडाई आईपीसी में परिभाषित नही है। लडाई करने के लिए दो लोगो की आवश्यकता होती

है, जो कि आवेश में जिसमें भावनाओ को शांत करने का कोई समय नही मिल पाता तथा इस मामले में पक्षो ने खुद गुस्से में यह कृत्य किया हैं।

शुरूआत में मौखिक विवाद हुआ था। किसी भी झगडे के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों जो कि हथियार सहित अथवा रहित हो, की आवश्यकता होती है। किसी भी झगडे को अचानक हुये झगडे के रूप में परिभाषित करने के लिए कोई सामान्य नियम नही है। किसी भी मामले में पूर्व से सिद्ध तथ्यो के आधार पर ही यह तय किया जा सकता है कि झगडा अचानक हुआ था या नही। अपवाद 4 को लागू करने के लिए यह तथ्य ही पर्याप्त नही है कि झगडा अचानक हो गया था तथा झगडे के लिए कोई पूर्व साजिश नही थी। बल्कि इसमें यह भी दर्शित होना चाहिये कि अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नही उठाया है तथा असामान्य तरीके से कार्य नही किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अनुचित लाभ का अर्थ है अनुचित फायदा। वर्तमान मामला आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत नही आता है। आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए आवश्यक सामग्री वर्तमान मामलें में मौजूद है। दोषसिद्धि में आईपीसी की धारा 304 भाग में बदल दिया जाता है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 826/2004

उडीसा उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.03.2002 से

जो कि सीआरएल ए.सं. 279/89 में पारित किया गया।

एम के सपरा, कंवर सपरा, बी0 अग्रवाल, सौरव श्रीवास्तव तथा अपीलार्थी की ओर से राजीव मेहता।

प्रतिपक्षी की ओर से शिबाशीष मिश्रा

न्याय का निर्णय अरिजीत पासायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

अनुमति स्वीकृत।

उडीसा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने विद्वान सत्र न्यायाधीश, मयूरभंज, बारीपदा द्वारा पारित भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिये आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की। मुकदमे के दौरान सामने आया अभियोजन पक्ष का विवरण इस प्रकार हैः- दिनांक 21.08.1988 को उमाकांत (अपीलार्थी के भाई) ने प्रताप के पिता चिंतामणि राउत (पी0 डब्ल्यू 1) की भतीजी जंयती को छेडा। 22.08.1988 को प्रताप ने अपनी पिछली घटना के के बारे में अपने पिता से शिकायत की, जिन्होने उन्हे जयंती के पिता के आने तक इंतजार करने के लिए कहा जो गांव से दूर थे। शाम को जब जंयती के पिता लौटे, जयंती के पिता के साथ मृतक और बेनुधर रूट(पी0 डब्ल्यू 5) अपीलार्थी के घर उसकी जयंती को छेडने का करण जानने के लिए गया। चुकि रमाकांत वहा पर नही थे, इसलिये कुछ भी तय नही किया जा सका। अगले दिन यानि 23.08.1988 को सुबह, मृतक अपीलार्थी के घर पर पता लगाने के लिए गया कि क्या

उसका भाई उमाकांत घर पर लौट आया है। उन्होने इस बात पर भी जोर दिया कि अपीलार्थी और उनके भाई रमाकांत को घटना के निपटारा करने के लिए आना चाहिये। जब यह बात कही तो उन्होने मना कर दिया तो इस पर वहां झगडा हो गया। इसी समय अपीलार्थी अपने घर के अंदर गया और चाकू लेकर बाहर आया और मृतक की पीठ पर वार कर दिया। जब मृतक ने अपना मुंह घुमाया तो अपीलार्थी ने उसकी गर्दन पकड ली और चाकू को उसके सीने में घौप दिया। घटनास्थल पर मौजूद पीडब्ल्यू 4 और 7 मृतक को अपीलार्थी से बचाने की कोशिश की लेकिन सफल नही हो सके। हांलाकि, चक्रधर भुईयां की बाड के पास गिरने से मृतक को गांव के औषधालय ले जाया गया जहां पर उसने चोटो के कारण दम तोड दिया।

आरोप साबित करने के लिए आठ गवाहो से पूछताछ की गयी जिनमें शामिल थे पीडब्ल्यू 1,4 और 7 जिनके चश्मदीद गवाह होने का दावा किया गया था। पीडब्ल्यू 5 और 6 ने अपीलार्थी द्वारा उनके सामने अपराध करने के कथित स्वीकारोक्ति के बारे में गवाही दी। चश्मदीद गवाहो के साक्ष्य पर भरोसा करते हुये विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया और दोषी ठहराया तथा उसे पूर्व उल्लेखित सजा सुनाई। उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कमी नही मिली। उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गयी थी कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि अचानक झगडे के दौरान हमले किये गये थे जो कि आईपीसी की धारा 302 के दायरे में नही आता है।

हालाकि उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि एक झगडा था, लेकिन यह माना गया कि आईपीसी की धारा 303 को सही ढंग से लागू किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही आरोप आईपीसी की धारा 302 के तहत एक मामले में अभियोजन पक्ष के आरोपो को पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है और आईपीसी की धारा 302 के संदर्भ में दोषसिद्धि नही की जानी चाहिये थी, उनके अनुसार आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 लागू होता है।

जवाब में, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहो द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक परिदृश्य और लगी चोटो की प्रकृति से निचली अदालत ने अभिलिखित दोषिसिद्धि को उचित ठहराया था। आईपीसी की धारा 302 के तहत उच्च न्यायालय ने अपील को सही प्रकार से खारिज कर दिया है। आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 में बिना पूर्व साजिश एवं आवेश में अचानक झगडे में अपराधी ने कोई अनुचित लाभ उठाये बिना या बिना कोई कूररतापूर्ण कार्य या असामान्य तरीके से कार्य, यह कार्य उक्त अधिनियम में शामिल किये गये है। अचानक लडाई, उक्त अपवाद अभियोजन के एक मामले से संबधित है। पहले अपवाद द्वारा कवर किया गया, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनो में पूर्व साजिश का

अभाव है लेकिन जबकि अपवाद के मामले में आत्म नियंत्रण का कुल अभाव है, अपवाद 4 के मामले में। केवल आवेश का को्रध जो मनुष्य के शांत तर्कों पर छाया करता है और उन्हे उन कार्यो को करने के लिए प्रेरित करते है जो वो अन्यथ नही करते। अपवाद 1 के रूप में अपवाद 4 में प्रावधान है लेकिन की गयी चोट प्रत्यक्ष नही है। जो उस प्रहार के बावजूद मारा गया हो सकता है, या कुछ उकसावा हो सकता है। विवाद की उत्पत्ति या किसी भी तरह से झगडा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनो पक्षो का बाद का आचरण उन्हे अपराध के संबंध में समान आधार पर रखता है। एक अचानक लडाई का अर्थ है, आपसी उकसावा। दोनो तरफ से वार करते है तब की गयी हत्या स्पष्ट रूप से नही है। एक तरफा उकसावे के लिए पता लगाने योग्य, ऐसे मामलो में पूरा दोष नही हो सकता है। लडने के लिए कोई पूर्व विचार विमर्श या दृढ संकल्प नही है तब अपवाद 1 लागू होगा। अचानक एक लडाई शुरू होती है, जिसके लिए दोनो पक्षो को कमोबेश दोषी ठहराया जाता है। यह हो सकता है कि उनमें से किसी एक ने झगडा शुरू किया हो लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने स्वयं के आचरण से नही बढाया होता तो यह उतना गंभीर मोड नही लेता जितना उसने लिया था। फिर आपसी उत्तेजना और उतेजना होती है और दोष के उस हिस्से को बांटना मुश्किल है जो प्रत्येक झगडा करने वाले से जुडा होता है। यदि मृत्यु हो जाती है तो अपवाद 4 की सहायता ली जा सकती हैः (ए) पूर्व साजिश के बिना, (बी) अचानक लडाई में, (सी) अपराधी के बिना अनुचित लाभ उठाने

या क्रूर कार्य या असामान्य तरीके से कार्य करने पर और (डी) लडाई मारे गये व्यक्ति के साथ हुयी हो। एक मामले को अपवाद 4 के भीतर लाने के लिए उसमें उपर्युक्त सभी अवयवों को पाया जाना चाहिए।

इस बात पर ध्यान दिया गया है कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली लडाई को आईपीसी मे परिभाषित नही किया गया है। लडाई करने में दो लोागो की आवश्यकता होती है। आवेश की उष्मा की आवश्यकता होती है। भावनाओ को शांत करने के लिए कोई समय नही होना चाहिये और इस मामले में, पक्षो ने शुरूआत में मौखिक कारणों से खुद को गुस्से मे लाने का काम किया है।

लडाई दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक लडाई है चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। किसी भी सामान्य नियम का उच्चारण करना संभव नही है कि अचानक झगडा क्या माना जाएगा। यह तथ्य का सवाल है और क्या झगडा अचानक होता है या नही, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 के अनुप्रयोग के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नही है कि अचानक झगडा हुआ था और कोई पूर्वधारणा नही थी। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नही उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नही किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अनुचित लाभ अभिव्यक्ति का अर्थ है, अनुचित लाभ।

कानूनी सिद्धांतो की पृष्ठभूमि में, तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये उपर निर्धारित, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि मामला आईपीसी की धारा 302 के तहत नही आता है। आईपीसी की धारा 302 के अपवाद 4 के प्रयोजन के लिए आवश्यक तथ्य मौजूद है। दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 404 भाग 1 में बदल दिया गया है। 10 साल की अभिरक्षा की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

अपील को इंगित सीमा तक अनुमति दी जाती है। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

के.के.टी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रहेलिका (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।